

<p>8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों से इसके भाग रूप में गठित हैं या इसके सलाह के लिए, का विवरण, और उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जो लोगों की पहुंच के अधीन होंगे का विवरण ।</p>	<p>जैसा कि ऊपर बिन्दु-7 में उल्लेख किया गया है, राज्य स्तर पर राज्य सैनिक परिषद तथा जिला स्तर पर जिला सैनिक परिषद विभाग को परामर्श देने के लिए गठित हैं, जिनमें विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व है । इनकी बैठकों में केवल इनके सदस्यों द्वारा भाग लिया जा सकता है, परन्तु ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त को किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है ।</p>
--	---